FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0186   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 18/07/2025 15:52 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): शुक्रवार   Date From (दिनांक से): 21/03/2025   Date To (दिनांक तक): 21/03/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 14:00 बजे   Time To (समय तक): 18:30 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 18/07/2025   Time (समय): 11:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 18/07/2025 15:52:57 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-WEST, 03 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

   (b) Address(पता): KARYALYA ADHIKSHN ABHIYANTA,, SARVAJANIK NIRMAN VIBHAG,, SIKAR

   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PRAMESHVAR LAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JAGDISH PRASAD

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAON RAMSINGHPURA, NECHHWA, NECHHWA, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAON RAMSINGHPURA, NECHHWA, NECHHWA, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAHESH KUMAR		पिता:RAJPAL SINGH	1. GRAM BHOJDESAR,FATEHPUR,SIKAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,500.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,500.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

संक्षिप्त हालात इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2025 को परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति जाट उम्र 24 वर्ष, निवासी गांव रामसिंहपुरा तहसील व पुलिस थाना नेछवा, जिला सीकर ने उपस्थित कार्यालय होकर मन् रविन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष अपने पिताजी के सी क्लॉस ठेकेदार के लाईसेंस की फोटोप्रति एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति मय एक लिखित प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरे पिताजी श्री जगदीश प्रसाद ने अपनी फर्म बालाजी इन्टरप्राईजेज के नाम से बनाकर उन्होने सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीकर से वर्ष 2020 में सी श्रेणी का सर्टिफिकेट प्राप्त किया था। वर्तमान में मेरे पिताजी दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से अपना उक्त सी श्रेणी का सर्टिफिकेट का नवीनीकरण नहीं करवा पाये तो मैने हमारे उक्त फर्म बालाजी इन्टरप्राईजेज का सी सर्टिफिकेट का लाईसेंस नवीनीकरण करवाने एवं 1 लाख रुपये की एफडीआर जो पूर्व से कार्यालय में जमा है को प्राप्त करने के लिये मेरे पिताजी के निर्देशानुसार समस्त कागजात तैयार कर दिनांक 19.03.2025 सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीकर के एसई साहब से मिला तो उन्होने मुझे अपने कार्यालय के बाबू श्री महेश कुमार खींचड़ से मिलने को कहा तो मैं श्री महेश कुमार खींचड़ से मिला और हमारी फर्म के लाईसेंस का नवीनीकरण करने एवं हमारी पूर्व से जमा 1 लाख रुपये की एफडीआर वापस दिलाने का निवेदन किया और संबंधित कागजात उनको पेश कर दिये। इसके बाद भी महेश कुमार खींचड़ ने मेरे से लिये गये सारे कागजात चैक कर मुझे कहा कि तेरे कागजात तो अधूरे है पर तू मुझे खर्चा-पानी देगा तो मैं तेरी फर्म बालाजी इन्टरप्राईजेज का सी श्रेणी का लाईसेंस का नवीनीकरण भी कर दूंगा और तुम्हारी 1 लाख रुपये की एफडीआर भी लौटा दूंगा। मैने उनसे खर्चे पानी की बात की तो उन्होने मुझसे 20,000 रुपये की मांग की परन्तु मेरे द्वारा कम करने का निवेदन करने पर वे 18,000 रुपये पर सहमत हो गये और उन्होने मुझसे उसी वक्त ही एक फोनपे नम्बर[redacted] पर मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से फोनपे करवा लिया और इस ट्रांजेक्शन का स्क्रिनशॉट अपने मोबाईल नम्बर[redacted] पर व्हाट्सअप करवा लिया और कहा कि शेष 3,000 रुपये 2 दिन में लेकर आ जाना तो मैं तेरा लाईसेंस का नवीनीकरण किया हुआ प्रमाण पत्र व तेरी 1 लाख रुपये की एफडीआर तेरे को दे दूंगा। इसके बाद मैं वहाँ से आ गया। श्री महेश कुमार खींचड़ से उस दौरान मेरी जो वार्ता हुई थी उसको मैने मेरे दूसरे फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। मै श्री महेश कुमार खीचड़ बाबू , सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीकर को उसके शेष 3000 नहीं देना चाहता हूँ बल्कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत कार्यवाही करवाकर मेरे से जो 15,000 रुपये उन्होने पहले ले लिये उनको भी लेना चाहता हूँ। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि श्री महेश कुमार खीचड़ बाबू , सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीकर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल से प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित रिकॉर्डिंग बाबत पूछने पर बताया कि उक्त रिकॉर्डिंग मेरे पास घर पर दूसरे फोन में है जो मैं आईन्दा लाकर पेश कर दूंगा। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से मामला प्रथम द्रष्टया रिश्वत लेन-देन का पाया जाने पर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय के श्री कैलाश चन्द्र कानि. नं. 386 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र व प्रार्थना-पत्र पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बताया गया। तत्पश्चात कार्यालय का सोनी कम्पनी का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं नया मेमोरी कार्ड सेन्डिस्क 64 जीबी मंगवाया जाकर मेमोरी कार्ड को डीवीआर में डालकर परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल डीवीआर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप में चलाकर देखा गया तो पूर्व की कोई वार्ता रिकॉर्ड होना नहीं पाई गई। कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के श्री कैलाश चन्द्र कानि. नं. 386 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकॉर्डर पृथक से तैयार की गई। रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री कैलाश चन्द्र कानि. नं. 386 के साथ परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल को मुनासिब हिदायत दी जाकर समय 03.30 पीएम पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीकर के लिए रवाना किया गया। उसी दिन समय 6.30 पीएम पर श्री कैलाश चन्द्र कानि. नं. 386 मय परिवादी श्री श्री प्रमेश्वर लाल के उपस्थित कार्यालय आया एवं डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि मैं एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल एसीबी कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग-वृत सीकर के पास पहुंचे। जहाँ पर मैने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को चालु करके हिदायत मुनासिब कर परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल को सुपुर्द कर दिया था जिसे परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल ने प्राप्त कर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण

विभाग-वृत सीकर के अन्दर चला गया। मैं कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग-वृत सीकर के पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहा। थोडी देर बाद परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल के कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग-वृत सीकर से बाहर आने पर परिवादी ने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मेरे को सुपुर्द कर दिया। जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके पश्चात मैं एवं परिवादी वहाँ से रवाना होकर आपके पास कार्यालय में आ गये। परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल ने श्री कैलाश चन्द्र कानि. नं. 386 के कथनो की ताईद करते हुये बताया कि मैं व आपके कार्यालय के श्री कैलाश चन्द्र कानि. आपके कार्यालय से रवाना होकर एसई कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर पहुंच गये। जहाँ पर श्री कैलाश चन्द्र कानि. ने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के चालु करके मेरे को दे दिया और मैं एसई कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर के अन्दर जाकर श्री महेश कुमार खींचङ, बाबू के बारे में मालुमात की तो वे कार्यालय में नहीं मिले तो मैने अपने मोबाईल नं. [redacted] से श्री महेश कुमार खींचङ के मोबाईल नं. [redacted] पर वॉट्सअप कॉल पर अपने कार्य के बारे में वार्ता की तो उन्होने मेरा काम हो जाना व थोडी देर में कार्यालय में आने के बारे में बताया। मैने उक्त वॉट्सअप वार्ता को मेरे मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करके रिकॉर्ड कर लिया और फिर वार्ता समाप्ति के बाद डीवीआर को बन्द करके अपने पास सुरक्षित रख लिया और श्री महेश कुमार खींचङ बाबू का उनके कार्यालय में ही इन्तजार करता रहा। कुछ समय पश्चात श्री महेश कुमार खींचङ बाबू के कार्यालय में नहीं आने पर मैने उनको दुबारा वॉट्सअप कॉल किया तो उन्होने कॉल रिसिव नहीं किया और मुझे वॉट्सअप मैसेज किया कि मैं साहब के पास हूं। इसके बाद मैं उनका वहीं पर उनके कार्यालय में इन्तजार करता रहा। इसके बाद उन्होने मुझे वॉट्सअप कॉल करके कार्यालय में बुलाया। जिस पर मैने डीवीआर को चालू करके श्री महेश कुमार खींचङ बाबू से मिला तो वो मुझे कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर के परिसर में बने अपने सरकारी आवास के अन्दर ले गया जहाँ मैने श्री महेश कुमार खींचङ बाबू से मेरे कार्य के सम्बन्ध में वार्ता की तो श्री महेश कुमार खींचङ, बाबू ने कहा कि मैने आपका कार्य कर दिया है और वार्ता के दौरान उन्होने मेरे से पूर्व में प्राप्त किये गये पन्द्रह हजार रुपये पर सहमति देते हुये तीन हजार रुपये की और मांग की और मुझे हमारी फर्म के नवीनीकरण का आदेश व हमारी पूर्व में जमा एक लाख की एफडीआर मय बैंक को एफडीआर प्लेज मुक्त करने सम्बन्धी पत्र दे दिये। मैने श्री महेश कुमार खींचङ से हुई समस्त वार्ता को आपके द्वारा दिये गये डीवीआर में रिकॉर्ड कर लिया और उन्हे दो दिन में तीन हजार रुपये देने की कही तो तीन हजार रुपये दो दिन बाद देने की बात पर सहमत हुये। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने डीवीआर को चालु कर सुना तो परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल एवं कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों के क्रम में रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित आलमारी में रखा। परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल ने रिश्वत मांग सत्यापन से समय संदिग्ध आरोपी श्री महेश कुमार खींचङ, बाबू कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग-वृत सीकर द्वारा उसको दिये गये कागजात स्वयं के पिताजी श्री जगदीश प्रसाद के कन्स्ट्रेक्शन लाईसेन्स रिन्युवल का कार्यालय आदेश नं. 2299 दिनांक 21.03.2025 एवं पुराने लाईसेन्स के पेटे जमा एफडीआर प्लेज मुक्त करने सम्बन्धी पत्र 2298 दिनांक 21.03.2025 एवं मूल एफडीआर नं. 0910622 पेश की जिनका अवलोकन कर फोटोप्रति करवाकर परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। मूल कागजात परिवादी को लौटाये गये। परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल को मुनासिब हिदायत कर रुखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 09.04.2025 को परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष बताया कि मैं मौसम खराब होने के कारण अपने खेत में खडी फसल को कटाई व अनाज निकलवाने के कार्य में व्यस्त हो गया था, इसलिये अब तक अग्रिम ट्रैप कार्यवाही करवाने में देरी हो गई, मैं आज मेरा कृषि कार्य पूरा हो जायेगा तो मैं आपके पास कार्यालय में आकर अग्रिम कार्यवाही करवा दूंगा, जिस पर कोष कार्यालय सीकर से श्री पंकज कुमार गोदारा सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय एवं श्री नरेश कुमार भास्कर वरिष्ठ सहायक, कोष कार्यालय सीकर को तलब किया गया। समय करीब 6.00 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल के कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जरिये दूरभाष परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी से दूरभाष से सम्पर्क नहीं हुआ, जिस पर कार्यालय में उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज कुमार गोदारा सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय एवं श्री नरेश कुमार भास्कर वरिष्ठ सहायक को हिदायत मुनासिब कर रुखसत किया गया। तत्पश्चात 11.04.2025 को परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही के बाद आज तक मेरे से श्री महेश कुमार खींचङ ने किसी भी प्रकार से सम्पर्क कर रिश्वत की मांग नहीं की है, शायद उसे मेरे पर शक हो गया है, इसलिये वो मुझसे अब रिश्वत के रुपये नहीं लेगा। जिस पर स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज कुमार गोदारा एवं श्री नरेश कुमार भास्कर को तलब किया जाकर कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल का स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज कुमार गोदारा एवं श्री नरेश कुमार भास्कर से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल द्वारा दिनांक 21.03.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रकरण में स्वतंत्र गवाहान रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 21.03.2025 को आरोपी श्री महेश कुमार खींचङ, बाबू, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीकर से जरिये मोबाईल फोन हुई वार्ता एवं आमने सामने हुई वार्ता को परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त

डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपनी आलमारी से निकालकर डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री कैलाश चन्द्र कानि. 386 से कार्यालय के कम्प्यूटर में जुड़वाकर रिकॉर्डिंग वार्ता रुपान्तरण किया गया। उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल ने स्वयं की व आरोपी श्री महेश कुमार, बाबू, पीडब्लूडी सीकर की आवाज होना पहचान की। तत्पश्चात चार नये खाली मैमोरी कार्ड SanDisk 64 GB लेकर उन्हे खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त वार्ता को चारों मैमोरी कार्डो में कॉपी करवाई गई। रिश्वत मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मूल मेमोरी कार्ड SanDisk 64 GB एवं नये तैयार किये गये दो मेमोरी कार्डो की श्री कैलाश चन्द्र कानि. 386 से FTK Imager सॉफ्टवेयर से अलग-अलग हैश वैल्यु निकालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड SanDisk 64 GB निकालकर उसे एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ए अंकित किया गया। तैयार किये गये चार मेमोरी कार्डो में से हैश वैल्यु निकाली गई, एक मेमोरी कार्ड पर मार्क ए-1 एवं दूसरे मेमोरी कार्ड पर मार्क ए-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उन्हे पृथक-पृथक सफेद कागज में लपेटकर माचिस की डिब्बी में डालकर सफेद कपडे की थैली में पृथक-पृथक सील्ड किया गया। तैयार किये गये शेष दो मेमोरी कार्डो को आरोपी एवं अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही विस्तृत फर्द रुपान्तरण पृथक से तैयार की गई। तत्पश्चात दिनांक 25.04.2025 को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल ने बताया कि रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही के बाद आज तक मेरे से श्री महेश कुमार खींचड़ ने किसी भी प्रकार से सम्पर्क नहीं किया है, अब श्री महेश कुमार खींचड़ मेरे से रिश्वत के रुपये नहीं लेगा। परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल ने मामले में अब आगे और कार्यवाही नहीं करवाने की कही। ऐसी स्थिति में आरोपी श्री महेश कुमार खींचड़, बाबू, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीकर के विरुद्ध अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकी। चूँकि रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 21.03.2025 को आरोपी महेश कुमार खींचड़, बाबू द्वारा परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल को पेमेन्ट करने की कहने पर परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल के कथन कि पेमेन्ट तो सर देखल्यो वो 15000 रुपये तो कर ही रखे है मैने, देखो 18000 मैं तो अपनी पूरी बात ही हुई जिस आरोपी के कथन कि अर पन्द्रह है ही नहीं यार पांच हजार रुपये थे पन्द्रह का तो नाम ही कोनी जिस पर परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल के कथन कि वो 9500 तो चालान का उपर के है, 5500 मानो उपर के तो पन्द्रहा हजार में देख लो जिस पर आरोपी द्वारा नहीं मानने पर परिवादी के कथन कि दो दिन को टाईम दे दयो मण्डे को थाने मैं तीन हजार रिपया पुचा देस्यू ओ विश्वास राखो जिस पर आरोपी महेश कुमार के कथन कि कोई दिक्कत कुनी आदि कथनों से आरोपी श्री महेश कुमार खींचड़, बाबू, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीकर द्वारा परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल के पिताजी श्री जगदीश प्रसाद के नाम फर्म बालाजी इन्टरप्राईजेज के सी श्रेणी के सर्टिफिकेट का नवीनीकरण करवाने एवं पुराने लाईसेन्स के पेटे जमा 1 लाख रुपये की एफडीआर प्लेज मुक्त करवाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 21.03.2025 को परिवादी श्री प्रमेश्वर लाल से 18000 रुपये बतौर रिश्वत की मांग करने जिनमें पूर्व में परिवादी से प्राप्त किये गये 15000 रुपयों में से 9500 रुपये सरकारी शुल्क के होने की बात कहते हुये शेष 3000 रुपये रिश्वत की मांग की गई है। अर्थात आरोपी द्वारा परिवादी से 8500 रुपये बतौर रिश्वत की मांग की गई है, जिनमें पूर्व में 5500 रुपये परिवादी से बतौर रिश्वत प्राप्त होने तथा शेष 3000 रुपये बतौर रिश्वत मांग की गई है। आरोपी श्री महेश कुमार पुत्र स्व. श्री राजपाल सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम भोजदेसर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-द्वितीय सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय है। अतः आरोपी श्री महेश कुमार पुत्र स्व. श्री राजपाल सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम भोजदेसर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-द्वितीय सीकर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है। (रविन्द्र सिंह) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर .... कार्यवाही पुलिस............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री महेश कुमार पुत्र स्व. श्री राजपाल सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम भोजदेसर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-द्वितीय सीकर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 334 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1060-63 दिनांक 18.07.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,

सीकर 2.- मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर चतुर्थ, 4-.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर ।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIJAY KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/07/2025 15:[illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	03/07/1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)